कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग एवं व्यवहृत कार्य

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	1	संगठन की विशिष्टिया कृत्य एवं कर्तव्य:-	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में भारत सरकार द्वारा निर्धारित 20 सूत्री कार्यक्रमों एवं राज्य सरकार के उच्च प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण,समीक्षा एवं मूल्याँकन का कार्य मुख्यत: सम्पादित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, टास्क फोर्स अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण दलों द्वारा स्थलीय सत्यापन तथा उससे सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्टों का अनुवर्ती अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्यवाही भी कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा की जाती है। विभाग में उच्च प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यॉकन के अतिमहत्वपूर्ण कार्य के सन्दर्भ में विभिन्न प्रपत्रों को तैयार करके उन्हें जनपदों मण्डलों एवं जोनल अधिकारियों को भेजकर सूचनाएँ मंगायी जाती हैं तथा प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर समीक्षोपरान्त मूल्याँकन आख्या उच्च स्तर पर आदेशार्थ प्रस्तुत की जाती है। विभाग द्वारा उच्च प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रमों, शासकीय कार्य, कानून व्यवस्था, मण्डलीय टास्क फोर्स के निरीक्षण के अनुक्रम में राज्य एवं मण्डल स्तरीय समीक्षा बैठके आयोजित करने के साथ ही इन बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं तद्क्रम में जारी निर्देशों के अनुपालन की कार्यवाही तथा 20 सूत्री कार्यक्रमों का समेकित रूप से अनुश्रवण किया जाता है।

विभाग के कार्यो का विवरण निम्नवत् है:-

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य व्यवहृत किये जाते है:-

<u>20 सूत्री कार्यक्रम</u>

प्रारम्भ -1975

पुनर्संरचना

प्रथम -1982

द्वितीय -1986

तृतीय- 2006

उद्देश्य:-

(1)- गरीबी उन्मूलन

(2)- जीवन स्तर में सुधार

(3)- सुशिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना।

(1)- राज्य में भारत सरकार की प्राथमिकता सम्बन्धी बीस सूत्रीय कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण एवं सफल संचालन में सम्बन्धित कार्य इस विभाग द्वारा सम्पादित किये जाते है। इसके अन्तर्गत गरीबी हटाओं, जनशक्ति ,किसान मित्र, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास, शुद्व पेयजल, जन-जन का स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति,जनजाति अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला कल्याण , बाल कल्याण, युवा विकास,

बस्ती सुधार, पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्वि सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऊर्जा, पिछड़ा क्षेत्रविकास, ई-शासन बिन्दु सम्मिलित है। भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को उक्त कार्यो की मासिक रिपोर्ट का प्रेषण किया जाता है।

<u>अनुश्रवण व्यवस्था:-</u>

चतुर्थ स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रण

(i)- -विकास खण्ड स्तर

(ii)-जनपद स्तर

(iii)- राज्य स्तर

(iv)- -केन्द्र स्तर

राज्य के विभिन्न स्तरीय समिति के अध्यक्ष/सदस्यों का विवरण:-

1-राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति

1-अध्यक्ष -मुख्यमंत्री/अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति।

2-उपाध्यक्ष-राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के अन्तर्गत 20 सूत्रीय कार्यक्रम राज्य स्तरीय समिति,उ0प्र0के अध्यक्ष श्री देव नारायण उर्फ जी.एम0सिंह (स्तर राज्यमंत्री स्तर) को नामित किया गया है, जिनका मोबाइल नं0-9415211442 तथा श्री अवधेश

कुमार पाण्डेय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का उपाध्यक्ष नामित है जिनका मोबाइल नं. 9919237055 है।

3-सदस्य:-सभी सम्बन्धित विभागों के मंत्री, एम0पी0, एम0 एल0 ए0, मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव एवं नामित सामाजिक कार्यकर्ता/शिक्षा विद/युवा नेता को राज्य स्तरीय समिति में नामित किया जाता है।

2- जनपद स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति

1- अध्यक्ष-जनपद के प्रभारी मंत्री/जिलाधिकारी/जिसे नामित किया जाय

2- उपाध्यक्ष-राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति

3- सदस्य-केन्द्र/राज्य सरकार के जनपद के मंत्री जनपद के एम0पी0,एम0एल0ए0,जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, सम्बन्धित विभागों के अधिकारी

4- सदस्य सचिव-जिला विकास अधिकारी अथवा अर्थ एवं संख्याधिकारी 5- अन्य नामित सदस्य- महिला मोर्चा ,अल्प संख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पंचायत, स्वतंत्रता सग्राम सेनानी, पूर्व सैनिक/अधिकारी/कर्मचारी,युवा मोर्चा,विकास कार्यो में रूचि रखने वाले व्यक्ति आदि

3- विकास खण्ड स्तर

अध्यक्ष- पंचायत प्रमुख/अपर जिलाधिकारी/स्थानीय

एम0पी0/एम0एल0ए0 जिसे नामित किया जाय।

सदस्य सचिव-खण्ड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0)

सदस्य- ग्राम प्रधान/उप प्रधान/ग्राम सभा सदस्य ,स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता आदि

समिति की बैठके/समयावधि

- राज्य स्तरीय -एक वर्ष में दो बार
- जिला स्तरीय प्रत्येक त्रैमास में एक बार
- खण्ड स्तरीय-प्रत्येक माह में एक बार

जिला प्रशासन/राज्य सरकार की जिम्मेदारी(बीस सूत्री कार्यक्रम)

1- जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर निर्धारित समय पर नियमित बैठकें सम्पन्न करायी जायें।

2- बैठकों के महत्वपूर्ण निर्णयों से राज्य सरकार को सूचित करना।

3- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं नियमित राज्य स्तरीय बैठकों का आयोजन।

4- खण्ड/जिला स्तर की समितियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का समुचित उत्तर देना/योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कराना ।

रैंकिंग का फार्मूला (बीस सूत्री कार्यक्रम)

राज्य स्तर पर मण्डलो/जनपदों की रैंक हेतु			**अखिल भारतीय स्तर पर राज्यों की रैंक हेतु**		
प्रतिशत	श्रेणी	अंक	प्रतिशत	श्रेणी	अंक
100 या अधिक	ए	3	90 या अधिक	ए	3
80-100 से कम	बी	2	राष्ट्रीय औसत से ऊपर	बी	2
50-80 से कम	सी	1	राष्ट्रीय औसत से कम	सी	1
0-50 से कम	डी	0	प्रगति नहीं	डी	0

<u>रैंकिग मदें (भारत सरकार द्वारा निर्धारित)</u>

1-खाद्य सुरक्षा

(क) लक्षित पी0डी0एस0

(ख) अन्त्योदय अन्न योजना

2- ग्रामीण आवास-इन्दिरा आवास योजना

3- शहरी आवास-ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0

4-ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम

5- बच्चों का टीकाकरण

6- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम

7- अनुसूचित जाति परिवारो को सहायता

8- अनुसूचित जन जाति परिवारो को सहायता

9- बाल विकास योजना का सार्वजनिकरण आई0सी0डी0एस0 योजना का विस्तार (संचयी)